

कैम्प कोर्ट— ग्राम पंचायत श्यालुता  
पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2 / 155 / 13

अनुवान— 1 श्योसहाय पुत्र श्योनाराण जाति कोली निवासी कुटुकी तहसील राजगढ

:- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.



05.06.2018:—आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत श्यालुता पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे इकतरफा बहस सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं० 620 / 626 रकबा 1.37 है० वाके ग्राम कुटुकी तहसील राजगढ के बाबत दिनांक 25.06.2013 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 23.07.2013 तक के लिये आराजी विवादित से प्रार्थी को बेदखल नही करे व कब्जे काश्त में व्यवधान ना करे। बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, तथा अप्रार्थीगण को नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये।

अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार तहसीलदार राजगढ द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया हुआ है। जवाब मे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

मैने पत्रावली का स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय अवलोकन व निरीक्षण किया, प्रार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेज फोटोप्रति जमाबंदी संवत 2068—70 ईन्तकाल संख्या 39 जमाबंदी संवत 2033 व मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 का अवलोकन व निरीक्षण किया गया प्रस्तुत रिकार्ड से प्रार्थी आराजी विवादित का गैर खातेदार दर्ज है। प्रकरण मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वर्ष 2013 से जारी है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए आराजी विवादित की मौके की यथास्थिति दावे के निर्णय तक बनाये रखना उचित है। अतः

आदेश है कि:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. विवादित आराजी खसरा नं.620 / 626 रकबा 1.37 है० वाके ग्राम कुटुकी तहसील राजगढ स्वीकार कर आराजी विवादित की मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंगन मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट श्यालुता तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट— ग्राम पंचायत श्यालुता